

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़

(जिला योजना)

दिनांक 30.05.2019 को उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, DMFT, रामगढ़ की अध्यक्षता में सम्पन्न DMFT प्रबंधकीय समिति की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति— पंजी के अनुसार

बैठक में उपस्थित DMFT प्रबंधकीय समिति के नामित सभी सदस्यों एवं अन्य पदाधिकारियों /कार्यपालक अभियंताओं का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

DMFT अन्तर्गत कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। योजनाओं के समीक्षोपरान्त समिति द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया :—

1. योजनाओं की समीक्षा

i. MTC Van का संचालन – सभी प्रखण्डों में कुपोषण निवारण कार्यक्रम अन्तर्गत पूर्व से संचालित MTC Van के संबंध में सिविल सर्जन, रामगढ़ एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, रामगढ़ के साथ समीक्षा की गयी। कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य सुधार/Success Story एवं PMU द्वारा तैयार किये गये प्रतिवेदन के अवलोकनोपरान्त संतोष व्यक्त करते हुए फेज-2 के कार्यान्वयन पर सहमति प्रदान की गयी। PMU (DMFT) द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव पर विमर्शोपरान्त MTC Van के संचालन की पूर्ण जिम्मेवारी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, रामगढ़ को देने पर निर्णय लिया गया।

इसके तहत Van के संचालन हेतु Staff, ईधन, Rout Chart, Data Entry, Progress Report आदि का संधारण एवं प्रबंधन जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा की जाएगी। Medical kits, Medicines, Doctors आदि उपलब्ध कराने एवं अन्य सभी अपेक्षित सहयोग सिविल सर्जन, रामगढ़ द्वारा प्रदान किया जाएगा। तदनुसार सभी आवश्यक तैयारी कर अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, रामगढ़ एवं सिविल सर्जन, रामगढ़ को निदेश दिया गया।

ii. अनुबंध पर रखे गये डॉक्टरों के Performace एवं मानदेय भुगतान पर चर्चा – सदर अस्पताल रामगढ़ में चिकित्सीय सुविधा सुदृढ़ करने के लिए अनुबंध पर रखे गये कुल 07 डॉक्टरों में से जिन 04 का मानदेय DMFT से भुगतान किया जाता है एवं जिनका भुगतान NHM के द्वारा किया जाता है, उनके द्वारा Monthly Patient Treatment एवं Referred to RIMS के प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त जिला स्वास्थ्य समिति, रामगढ़ द्वारा चयनित 01— Pathologist, 03— चिकित्सा पदाधिकारी एवं 01— ENT Specialist जिनका मानदेय का भुगतान नहीं हो पा रहा है उनका लंबित मानदेय DMFT से भुगतान करने हेतु अनुमोदन प्राप्त किया गया। इस संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन एवं अधियाचना समर्पित करने तथा विशेषज्ञ डाक्टरों एवं उनके द्वारा किये जाने वाले Treatment का व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु सिविल सर्जन, रामगढ़ को निदेश दिया गया। साथ ही, उनके Monthly Performace एवं आवश्यकता के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध करावें ताकि उनकी अवधि विस्तार एवं मानदेय भुगतान पर निर्णय लिया जा सके।

iii. Engineering एवं Medical Coaching हेतु RFP का पुनः प्रकाशन – रामगढ़ जिलान्तर्गत मेधावी छात्रों के लिए Engineering एवं Medical Coaching की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पूर्व में प्रकाशित RFP में Single Bid प्राप्त होने के कारण रद्द किया गया था। सुयोग्य एजेन्सी चयन हेतु पुर्ननिविदा/RFP के प्रकाशन हेतु सहमति प्रदान की गयी।

2. योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति

दिनांक 27.11.2018 को सम्पन्न DMFT न्यास परिषद की बैठक में अनुमोदित योजना जिसकी प्राक्कलित राशि 01 करोड़ से अधिक है, एवं प्रबंधकीय समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में स्वीकृति आदेश निर्गत किया गया है, उसे समिति द्वारा निम्नवत् अनुमोदित किया गया।

क्र.	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का पत्रांक	प्राक्कलित राशि
1	गोला में मल्टीपर्फस हॉल का निर्माण।	254 / जि०यो० 09.03.2019	352.07 लाख

3. मत्स्य पालन की योजना

पूर्व में स्वीकृत मत्स्य पालन की योजनाओं के अतिरिक्त जिला मत्स्य पदाधिकारी, रामगढ़ के पत्रांक 281 दिनांक 17.05.2019 से प्राप्त RFF का अधिष्ठापन एवं मत्स्य पालन कार्यक्रम के प्रस्ताव में विचारोपरान्त समिति द्वारा निम्नवर्णित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अनुमोदित किया गया।

i. भैरवा जलाशय में RFF अधिष्ठापन एवं मत्स्य पालन कार्यक्रम। (प्रा० राशि – 139.13750 लाख)
ii. नलकरी जलाशय में RFF अधिष्ठापन एवं मत्स्य पालन कार्यक्रम। (प्रा० राशि – 278.27500 लाख)
कुल – 417.41250 लाख

4. ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, हजारीबाग द्वारा अभिलेख आदि हस्तगत नहीं कराने की समीक्षा

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, हजारीबाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही DMFT, SCA, DUF आदि की योजनाओं का अभिलेख आदि कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, रामगढ़ को उपलब्ध नहीं कराये जाने की समीक्षा हेतु विशेष बैठक दिनांक 30.05.2019 को आहूत की गयी थी। उक्त बैठक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, हजारीबाग के अनुपस्थित रहने के कारण समीक्षा नहीं की जा सकी। इस पर उपायुक्त महोदया द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी। निदेश दिया गया कि उक्त बैठक दिनांक 31.05.2019 को पूर्वाह्न 10:30 बजे उप विकास आयुक्त, रामगढ़ के द्वारा आयोजित कर विषय-वस्तु की समीक्षा कर ली जाय। साथ ही, जिन योजनाओं का निविदा निस्तारण एवं कार्य प्रारम्भ अब तक नहीं किया गया है उसकी सूची स्पष्ट कारणों के साथ प्राप्त कर आवश्यक निर्णय हेतु प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

5. अनुमोदित योजनाओं का डी०पी०आर०/प्राक्कलन

न्यास परिषद की बैठक में अनुमोदित योजनाओं का डी०पी०आर०, उपयोगिता एवं दोहरीकरण न होने से संबंधी प्रतिवेदन संबंधित कार्यपालक अभियंता/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

हो/-

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष,


DMFT, रामगढ़।

ज्ञापांक 431 /जियो० रामगढ़ दिनांक ०१।०६।/2019

प्रतिलिपि:- PMU (DMFT) रामगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित पदाधिकारी/सभी कार्यपालक अभियंता, रामगढ़/जिला अभियंता, जिला परिषद्, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी, रामगढ़ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



उपायुक्त-सह-अध्यक्ष,
DMFT, रामगढ़।